निर्णय आदेशिका
दिनांक 28–5–2018

पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मोहब्बतनगर मे पेश हुई । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही हुये है। विचारण प्रकरण की दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकील श्री नारायणलाल कुम्हार तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही हाजिर हुये । प्रार्थीगण या वकील प्रार्थीगण हाजिर नही हुये है। वकील अप्रार्थी संख्या एक की विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर एक तरफा अंतिम बहस सुनी गई । हमने वकील अप्रार्थी संख्या एक की अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की इस मूल पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट व संलग्न राजस्व रेकर्ड वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 629 तथा पुरानी जमाबंदी संवत 2.50 से 2053 खाता नंबर 440 ,मिलान क्षैत्रफल व नक्शा द्रेस तथा अप्रार्थी संख्या 01 लीला का जवाब तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार ,सिरोही का जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया ।

विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा मोहब्बतनगर मे खसरा नंबर 63 ,468 ,470 ,1856 ,1864 ,1866 ,2132 ,व 2610 कुल किता 08 कल रकबा 5.4900 हेक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 629 के अनुसार प्रार्थीगण लादाराम ,जगाराम ,विक्रय पुत्र राजाराम ,हंजा ,हस्तु ,पुत्रीयॉ राजाराम कानाराम पुत्र गोमाराम 2/3 लीला पुत्री ओटाराम 1/3 कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता राजाराम जी और प्रार्थी संख्या 6 कानाराम पिछले 39 वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और राजाराम जी की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर उनके पुत्र पुत्रीयॉ प्रार्थी संख्या 1 से 5 काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी प्रार्थी संख्या 1 ता 5 के दादा और प्रार्थी संख्या 6 के पिता के नाम से खातेदारी मे अंकित थी । उपरोक्त आराजी प्रार्थी संख्या 1 से 6 तक तथा अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। अप्रार्थी संख्या एक के पिता का स्वर्गवास होने के अबाद विधि अनुरूप अप्रार्थी संख्या एक का नामान्तकरण दायर होकर बतौर मालिक अप्रार्थी संख्या 01 आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है।

विचारण प्रकरण राज.काश्त.अधि.1955 के तहत धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे संबंधित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो प्रमाणित करना होता है। परन्तु विचाराधीन प्रकरण मे प्रथम दृष्टयॉ मामला प्रार्थीगण संख्या 1 ये 6 तक एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष मे जाना जाहिर होता है क्योंकि वादग्रस्त उक्त आराजी के प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक तथा अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त खाततेदार कृषक है तथा उक्त प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक एवं अप्रार्थी संख्या 01 उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक तथा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष मे जाना जाहिर होता है। वादग्रस्त कृषि आराजी की अप्रार्थी संख्या एक सहखातेदार होने से उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 तक का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 01 का आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 तक एवं अप्रार्थी संख्या 01 को इस अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि मौजा मोहब्बतनगर तहसील सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 63 ,468 ,470 ,1856 ,1864 ,1866 ,2132 ,व 2610 कुल किता 08 कल रकबा 5.4900 हेक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 629 मे दर्ज प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक के 2/3 हक हिस्से के कब्जे काश्त मे अप्रार्थी संख्या 01 स्वंय या इनके एजेण्ट किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें साथ ही साथ प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक को भी इस अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त वादगस्त कृषि भूमि 63 ,468 ,470 ,1856 ,1864 ,1866 ,2132 ,व 2610 कुल किता 08 कल रकबा 5.4900 हेक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 629 मे दर्ज अप्रार्थी संख्या 01 के 1/3 हक हिस्से के कब्जे काश्त मे स्वंय या इनके एजेण्ट किसी